भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 96
उत्तर देने की तारीख : 29.01.2026

नैनो उद्यम

96. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्ली :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत पांच वर्षों के दौरान देश में पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की संख्या का ब्यौरा क्या है और आंध्र प्रदेश राज्य में श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्रेडिट गारंटी योजना के अंतर्गत अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) के लिए विशेष प्रावधान के अंतर्गत सहायता प्राप्त उद्यमों की वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत दस लाख रुपए से कम परियोजना लागत वाले लाभार्थियों से प्राथमिकता प्राप्त आवेदनों की संख्या कितनी है और इस श्रेणी के अंतर्गत वर्ष-वार सहायता प्राप्त उद्यमों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार एमएसएमई वर्गीकरण ढांचे के भीतर एक अलग "नैनो उद्यम" श्रेणी को औपचारिक रूप से मान्यता देने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या ऐसी मान्यता पहली पीढ़ी के उद्यमियों, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में, के लिए वित्तपोषण सुनिश्चित करेगी और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) सहित अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) का दिनांक 01.07.2020 में आरंभ से दिनांक 31.12.2025 तक श्रेणी-वार विवरण, निम्नलिखित है:

आंध्र प्रदेश राज्य में विभिन्न श्रेणियों में पंजीकृत उद्यमों की संख्या					
राज्य	**सामान्य**	**अनुसूचित जाति**	**अनुसूचित जनजाति**	**अन्य पिछड़ा वर्ग**	**कुल**
आंध्र प्रदेश	17,43,813	4,33,267	78,676	14,74,283	**37,30,420**

(ख) : आईएमई को सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएस) के अंतर्गत संपार्श्विक-मुक्त ऋण को औपचारिक रूप देने और सुविधाजनक बनाने के लिए दिनांक 14.02.2024 को आईएमई के लिए एक विशेष प्रावधान की शुरुआत की गई थी। विशेष प्रावधान की शुरुआत के बाद से जैसा कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) द्वारा सूचित किया गया है आईएमई को दी गई गारंटी का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध-I में वर्णित है।

(ग) : प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत, आंध्र प्रदेश राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान दस लाख रुपए से कम परियोजना लागत वाली पीएमईजीपी लाभार्थी सहायता का वर्ष-वार विवरण इस प्रकार है:

वित्त वर्ष	**सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या**	**कुल मार्जिन मनी सब्सिडी (करोड़ रुपए में)**
2022-23	2,123	51.17
2023-24	4,430	76.60
2024-25	1,916	41.76

(घ) और (ङ) : वर्तमान में एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए एमएसएमई वर्गीकरण फ्रेमवर्क उपलब्ध कराया गया है। जैसा कि दिनांक 20.03.2023 के राजपत्र का.आ. 1296(ई) द्वारा अधिसूचित किया गया है, उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण लाभों का लाभ उठाने के लिए उद्यम पंजीकरण के बराबर माना जाता है। इसके अलावा, ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों सहित प्रथम बार उद्यम शुरु करने वाले उद्यमियों को पीएमईजीपी, सीजीएस और अन्य एमएसएमई सुविधा कार्यक्रमों जैसी स्कीमों के माध्यम से समर्थन दिया जाता है।

अनुबंध – I

लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 96, जिसका उत्तर दिनांक 29.01.2026 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर के संबंध में संदर्भित अनुबंध

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना के विशेष प्रावधान के तहत आईएमई को दी गई गारंटी का विवरण।					
		वित्त वर्ष 2024-25		वित्त वर्ष 2025-26 31, दिसबंर 2025 तक	
क्र. सं.	राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र	अनुमोदित गारंटियों की संख्या	अनुमोदित गारंटियों की राशि करोड़ रुपए में	अनुमोदित गारंटियों की संख्या	अनुमोदित गारंटियों की राशि करोड़ रुपए में
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0.00	47	2.69
2	आंध्र प्रदेश	17,819	223.10	6,300	112.09
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0.00	6	0.67
4	असम	3,373	23.99	116	6.04
5	बिहार	88,944	1,160.46	34,556	630.97
6	चंडीगढ़	1	0.00	0	0.00
7	छत्तीसगढ़	8,997	78.62	1,199	20.76
8	दिल्ली	4,308	39.95	942	20.91
9	गोवा	1	0.01	0	0.00
10	गुजरात	7,448	54.79	219	11.17
11	हरियाणा	22,153	223.35	5,027	79.11
12	हिमाचल प्रदेश	340	4.02	202	4.25
13	जम्मू और कश्मीर	0	0.00	2	0.29
14	झारखण्ड	18,183	207.61	6,295	120.40
15	कर्नाटक	32,853	319.65	6,105	98.13
16	केरल	5,443	63.72	2,300	43.86
17	लद्दाख	0	0.00	0	0.00
18	लक्षद्वीप	0	0.00	0	0.00
19	मध्य प्रदेश	42,360	421.53	7,796	134.69
20	महाराष्ट्र	44,765	463.01	10,500	183.18
21	मणिपुर	1	0.09	106	8.87
22	मेघालय	0	0.00	14	2.08
23	मिजोरम	0	0.00	10	0.35
24	नागालैंड	0	0.00	16	1.28
25	ओडिशा	21,715	245.92	6,564	114.65
26	पुडुचेरी	1,179	8.79	8	0.30
27	पंजाब	3,904	25.73	54	0.92
28	राजस्थान	36,130	383.00	10,117	168.29
29	सिक्किम	209	2.15	0	0.00
30	तमिलनाडु	41,974	336.44	473	13.18
31	तेलंगाना	21,836	276.33	6,704	119.33
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	0.00	0	0.00
33	त्रिपुरा	1	0.05	1	0.20
34	उत्तर प्रदेश	91,606	1,084.37	24,552	420.18
35	उत्तराखंड	3,254	37.59	787	12.26
36	पश्चिम बंगाल	54,167	622.76	18,841	334.32
	कुल	**572,964**	**6,307.01**	**149,859**	**2,665.41**

स्रोत – (सीजीटीएमएसई)